भारत सरकार/ Government of India
केंद्रीय जल आयोग/ Central Water Commission
स्थापना छ: अनुभाग/ Establishment VI Section

***

Third Floor(S), Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-66.

Dated, the 9th June, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recruitment Rules for the post of Junior Engineer (Civil & Mechanical), Group 'B' in Central Water Commission -regarding.

Recruitment Rules to the post of Junior Engineer (Civil & Mechanical) in the Central Water Commission as notified in the Gazette of India as G.S.R. No.78 dated 20.05.2022 and published on 22-28 May 2022 is circulated for information of all concerned.

Encl: A/a.

Signed by Anil Kumar Yadav
Date: 09-06-2022 17:29:06
Reason: Approved

(Anil Kumar Yadav)
Under Secretary

To

All Offices/officers of Central Water Commission through CWC's website.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28052022-236069
CG-DL-W-28052022-236069

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 22— मई 28, 2022, शनिवार/ /ज्येष्ठ 1—ज्येष्ठ 7, 1944
No. 19] NEW DELHI, MAY 22—MAY 28, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 1– JYAISTHA 7, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) में स्टॉफ कार ड्राइवर भर्त्ती नियम 2006 को अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग में स्टॉफ कार ड्राइवर के पद की भर्त्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

	are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion Consisting of: (1) Scientist 'F' India Meteorological Department. - Chairman (2) Scientist C or Scientist D or Group 'A' officer equivalent to Scientist C - Member; and (3) One Group 'B' Gazetted Officer from the department (India Meteorological Department) - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation :** (1) Scientist 'F' India Meteorological Department. - Chairman (2 Scientist C or Scientist D or Group 'A'officer equivalent to Scientist C - Member; and (3) One Group 'B' Gazetted Officer from the department (IMD) - Member.	Not necessary.

[F. No.A-12035/2/09-E(3)(RR) (Driver)]

V. K. SONI, Dy. Director General (Administration)

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, कनिष्ठ इंजिनियर (सिविल और मैकेनिकल), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ इंजिनियर (सिविल और मैकेनिकल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, कनिष्ठ इंजिनियर (सिविल और मैकेनिकल),समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, २०२२ होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है , या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
कनिष्ठ इंजीनियर सिविल) (और मैकेनिकल	522* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रूपए)

चयन अथवा अचयन पद	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए - निर्णायक तारिख कर्मचारी चयन आयोग |द्वारा विज्ञापित की जाएगी	**अर्हता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री अथवा डिप्लोमा। **टिप्पण:** अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और**	**प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन**

लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		**विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि को सफलातापूर्वक पूरा करने के लिए विहित कम से कम दो सप्ताह का प्रेरक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बहार रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300 रू.) में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अ्हताएं और अनुभव हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

4. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/07/2017-स्था.I]

ए. के. दास, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 20th May, 2022

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Junior Engineer (Civil and Mechanical), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil and Mechanical) in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, namely :–

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Junior Engineer (Civil and Mechanical), Group ' B' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Junior Engineer (Civil and Mechanical)	522* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)

Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding thirty Years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Qualification: Bachelor's Degree or Diploma in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University or institution. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
100 per cent, by direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Chief Engineer Central Water Commission – Chairman 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member 3. Secretary, Central Water Commission -Member 4. Director, Central Water Commission – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/07/2017-E-I]
A. K. DAS, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.28 11:04:10 +05'30'